

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक 30 / 6 / 2008

संख्या- 212-44/08-11146/

स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सा पदाधिकारी के

अभ्यावेदन के आधार पर निम्नांकित चिकित्सकों के नाम के समक्ष स्तम्भ- 5 में अंकित जिलान्तर्गत स्थानान्तरित करते हुए पदस्थापित किया जाता है :-

क्रमांक	चिकित्सा पदाधिकारी का नाम	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन जिला	नव पदस्थापन जिला
1	2	3	4	5
1	डा० विनय कुमार शर्मा	Patna	जमुई	भोजपुर
2	डा० बीरेन्द्र कुमार शाही	Siwan	जमुई	बेगुसराय
3	डा० बी० एन० प्रसाद	Samtipur	जमुई	मुजफ्फरपुर
4	डा० भोला प्रसाद सिंह	Begusarai	जमुई	खगड़िया
5	डा० पुरुषोत्तम कुमार	Nalanda	जमुई	शेखुपरा
6	डा० कृष्ण मुरारी प्रसाद सिंह	Nalanda	जमुई	शेखुपरा
7	डा० राजेश्वर गोईत	Supaul	जमुई	अररिया
8	डा० लक्ष्मण पंडित	Banka	जमुई	बॉका
9	डा० अवधेश कुमार	Nalanda	जमुई	वैशाली
10	डा० रवीन्द्र कुमार	Sheikhpura	जमुई	नालन्दा
11	डा० मिथ्लेश कुमार सिंह	Saran	जमुई	लखीसराय
12	डा० त्रियुगी नारायण प्रसाद	Bhojpur	जमुई	वैशाली
13	डा० बर्लण कुमार	Lakhisrai	जमुई	भागलपुर
14	डा० सुधीर कुमार सिंह	Nalanda	जमुई	पटना
15	डा० ललित कुमार लाल	Samastipur	जमुई	दरभंगा
16	डा० अविनाश कुमार सिन्हा	Bhagalpur	जमुई	सहरसा
17	डा० शिव नारायण मंडल	Bhagalpur	जमुई	लखीसराय

2. जिन चिकित्सा पदाधिकारियों की सेवाओं जिलों को सौंपी गयी हैं उनका पदस्थापन उस जिला में प्रमण्डलीय आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति करेंगी ।

3. सभी स्थानान्तरित चिकित्सक अपने पदस्थापन से सम्बन्धित जिले में योगदान करेंगे । तत्पश्चात् असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से जिले के अन्तर्गत पदस्थापन के स्थान की अधिसूचना प्राप्त करेंगे और अधिसूचित स्थान पर योगदान करेंगे । अगर चिकित्सक के नाम की स्पेलिंग गलत हो तो असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी स्पेलिंग सुधार हेतु मुख्यालय को पत्र लिखेंगे लेकिन सुधार के लिए प्रतीक्षा न कर

*गु*


अधिसूचित स्थान पर योगदान देने का निर्देश असैनिक शल्प चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्स पदाधिकारी अपने स्तर ही दें देंगे ।

4. निलम्बन/न्यायालय के अन्यथा आदेश की स्थिति से सम्बन्धित चिकित्सा पदाधिकारी पर यह आदेश लागू नहीं होगा ।

5. सभी संबंधित नियंत्री पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि स्थानान्तरित चिकित्सा पदाधिकारियों को शीघ्र स्थानान्तरित स्थान पर योगदान करने हेतु निश्चित रूप से विरमित कर देंगे ।

6. चूंकि इनका पदस्थापन अभ्यावेदन के आधार पर हो रहा है इसलिए यात्रा भत्ता नहीं देय होगा ।

7. संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्तों से अनुरोध होगा कि पदस्थापन के जिले के अन्तर्गत रिक्तियों पर योग्यता एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पदस्थापन करें ।

 बिहार राज्यपाल के आदेश से

 प्रमोद कुमार

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक - 2/टी- ५५/ २००८ - ११५ (२)

पटना, दिनांक ३०.६. २००८

प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ वित्त (वै०दा०न०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्य कार्यार्थ प्रेषित ।


प्रतिलिपि - अधीक्षक, राजकीय प्रेस, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - सचिव, स्वास्थ्य एवं प०क० विभाग, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - सभी संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/ सभी संबंधित क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/ सभी संबंधित सिविल सर्जन/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - महानिरीक्षक, अभियोजन, बिहार, पटना/ सभी संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - मंत्री,, स्वास्थ्य विभाग के आप सचिव/ सचिव, स्वास्थ्य विभाग के सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/ संयुक्त सचिव के निजी सहायक/ उप सचिव के निजी सहायक/ विभागीय प्रशास्त्रा पदाधिकारी 2,3 एवं 9/ कम्प्यूटर कोषांग को सूचनार्थ प्रेषित ।

 सरकार के उप सचिव

सरकार के उप सचिव